राजस् थान उच चन् यायालय, जोधपुर

-:: निर्णय::-

विष्णु :बनाम : राजस् थानराज य

एकल पीठ फौजदारी अपील संख या: **560/2000**
विरूद्ध निण र्य दिना क : 7.9.2000, जो स शन
प्रकरण स ख्या 73/1992 में स शन न्यायाधीश ,
प्रतापगढ़ द्वारा पारित किया गया।

* * * * *

निर्णय दिनांक : 30 अक्टुबर , **2006**

-: उपि स् थत-

माननीय न् यायाधिपति श्री कृष् णकुमार आचार्य

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आर.के.चारण,
जन अभियोजक श्री एस.एन.तिवारी।

* * * * *

न् यायालय द्वारा:

यह अपील सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 7.9.2000 की नाराजी में अपीलाण्ट विष्णु द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर एडमिट की गई एवं जन अभियोजक को नोटिस दिया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन से जो तथ्य सामने आए हैं, संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.2.1992 को करीब 10-15 ए.एम. पर

धर्मपाल सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, प्रतापगढ़ को मुखबीर की इतिला मिली कि अभियुक्त विष्णु प्रतापगढ़ से सागवाड़ा जाने वाली बस में बैठकर आएगा और अफीम लेकर आएगा। इस पर महेन्द्र सिंह भाटी, थाना प्रभारी, प्रतापगढ़ को आवश्यक पुलिस बल एवं अनुसंधान सामग्री लेकर मन्दसौर चुंगी नाके पर पहुंचने का टेलीफोन से कहा। इस पर उप अधीक्षक पुलिस एवं महेन्द्र सिंह मय जाब्ता के धरियावद चुंगी नाके पर गए और बस के बारे में पता किया तो ज्ञाम हुआ कि सागवाड़ा जाने वाली बस 10-15 मिनट पहले ही रवाना हो चकी है। इस पर बस का पीछा किया और धरीयावद रोड़ की तरफ गये और बोरदी गांव के पास बस नजर आई जिसे रोक लिया गया। बस में प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ की सीट पर खिड़की के पास अभियुक्त विष्णु बैठा पाया गया जिसके पास एक थैली बांई भुजा की तरफ दबाई हुई थी। तलाशी लेने पर उसमें अफीम पाई गई जो 2 किलो 750 ग्राम हुई जिसमें से 30-30 ग्राम के दो सैम्पल लिए गए और अफीम एवं सैम्पल को सीलबंद किया गया और फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 तैयार की गई। थाने पर मुकदमा दर्ज किया। बाद में तफ्तीश हाजा की गई। अफीम के नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई। बाद अनुसन्धान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/18 स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) के तहत चार्जशीट प्रस्तुत हुई। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/18 अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोप लगाया जाकर सुनाया समझाया गया, अभियुक्त ने जुर्म करने से इनकार किया। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में पी.ड.1 जगदीश सिंह, पी.ड.2 प्रकाश चन्द, पी.ड.3 कालिया, पी.ड.4 रायसिंह,

पी.ड.5 महेन्द्र सिंह भाटी, पी.ड.6 सत्यनारायण, पी.ड.7 लक्षमण लाल, पी.ड.8 शंकरलाल, पी.ड.9 भंवरलाल, पी.ड.10 महेन्द्र कुमार, पी.ड.11 धर्मपालसिंह, पी.ड.12 महावीर सिंह एवं पी.ड.13 हीरालाल मेनारिया के बयान कराए गए। अभियुक्त के बयान धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत कलमबन्द किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अभियुक्त-अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 8/18 अधिनियम का आरोप प्रमाणित पाया और धारा 8/18 अधिनियम के आरोप में दस वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रूपए जुर्माना व अदम अदायगी जुर्माना छः माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया। उपरोक्त निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध यह अपील है।

इस अपील में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया व विचार किया।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी.9 पर विश्वास किया है और बरामदशुदा माल अफीम होना पाया है और नमूना सील, जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई और माल पर जो अंकित थी उससे मिलान भी खाती थी। शंकरलाल द्वारा माल व कागजात विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराए गए। इस प्रकार तमाम सूत्र साक्ष्य होना भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रमाणित पाई है। मगर उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड का सही रूप से अवलोकन नहीं किया। उनका मुख्य तर्क यही रहा कि अफीम की बरामदगी से लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक जब तक माल पहुंचा किस व्यक्ति के कब्जे में रहा इसकी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं आई है।

24.2.1992 को अभियुक्त से यह कथित बरामदगी अफीम की होना बताई गई है और 10.5.1992 को शंकरलाल को माल सुपुर्द करने के लिए सत्यनारायण को दिए जाने के बयान पी.ड.6 सत्यनारायण ने दिए हैं। शंकरलाल ने 10.5.1992 को उसे माल प्राप्त हुआ, बयान नहीं दिया बल्कि 11.5.1992 को उसे माल प्राप्त हुआ, बयान दिया। उनका तर्क है कि 24.2.1992 को माल बरामद किया जा चुका था और विधि विज्ञान प्रयोगशाला 13.5.1992 को जमा हुआ है उस दौरान यह माल किसके पास किस स्थिति में रहा इसकी कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं आई। 10.5.1992 को सत्यनारायण द्वारा माल दिया जाना रेकर्ड के विरूद्ध है। इस सम्बन्ध में उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित किया और तर्क किया कि वास्तव में अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। 10.5.1992 को कोई भी माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भिजवाया गया था। अव्वल में माल 10 मार्च, 1992 को प्रदर्श पी.13 के जरिए भेजा गया है जो अव्वल में मांगीलाल के साथ भेजा गया, जिसे बाद में काटकर शंकरलाल किया गया है। 10.3.1992 को पुलिस थाना, जाखम में भी मांगीलाल ने माल प्राप्त किया था, उसके बाद में शंकरलाल के दस्तखत मांगीलाल के काटकर कराए गए हैं। इसी पत्र के साथ संलग्न पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ का अग्रेषण पत्र भी है, जिसकी ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया और तर्क किया कि वास्तव में 10 मार्च, 1992 को माल भेजा गया था जो मांगीलाल के साथ भेजा गया, जिसे साक्ष्य में पेश नहीं किया गया। बाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा माल में एतराज करके 1.4.1992 को माल लौटाया गया और जिस प्रकार की सील लगी थी उसके

बारे में एतराज था। उन एतराजों को दूर करके बाद में 12.5.1992 को पुलिस अधीक्षक द्वारा यह माल शंकरलाल के साथ भेजा गया है। इस प्रकार उनका तर्क है कि 10 मार्च, 1992 से लगायत 10.5.1992 तक दो माह तक यह माल किसके पास किस हालत में रहा इसकी कोई भी सूत्र साक्ष्य पेश नहीं की गई। उनका तर्क है कि इस सम्बन्ध में न तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सम्बन्ध में जो एतराज किए गए, रेकर्ड पर पेश किए गए न मांगीलाल, जो 10 मार्च, 1992 को अव्वल में माल लेकर गया उसको साक्ष्य में पेश किया गया और पूर्व में विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जो एतराज किए गए उसे रेकर्ड से हटाकर गलत साक्ष्य न्यायालय में देने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार उनका तर्क है कि सूत्र साक्ष्य तमाम पेश नहीं होने के अभाव में विधि विज्ञान प्रयोशाला रिपोर्ट अभियुक्त के विरूद्ध नहीं पढ़ी जा सकती। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह भी तर्क रहा कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में यह माल किसके कब्जे में रहा इसकी भी सूत्र साक्ष्य पेश नहीं की गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सैम्पल किसको दिया गया, इसकी भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह भी तर्क रहा कि बरामदशुदा अफीम से 30-30 ग्राम के सैम्पल लिए गए थे और विधि विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचे तब तक इसका वजन बढ़कर 43 ग्राम हो गया, जिसका भी कोई आधार नहीं बताया गया है। इन सभी आधारों पर उनका तर्क रहा कि बरामदगी से लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक माल पहुंचा तब तक की तमाम सूत्र साक्ष्य पेश नहीं की गई है। उन्होंने अपने तर्क समर्थन में 2005 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (सुप्रीम कोर्ट) 328 (स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम गुरमेल सिंह) एवं 2005 (10) आर डी डी (राज.) 4162

(भंवरलाल बनाम राजस्थान राज्य) पर आए विनिश्चय पेश किए।

इसके विपरीत योग्य जन अभियोजक का तर्क रहा कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सूत्र साक्ष्य के सम्बन्ध में जो आज न्यायालय में बहस की जा रही है, प्रश्न नहीं उठाया गया और 10 मार्च, 1992 से लेकर 10.5.1992 तक माल किसके पास किस हालत में रहा, के सम्बन्ध में बहस नहीं की गई। इस प्रकार इस न्यायालय में यह प्रश्न अब नहीं उठाया जा सकता। उनका तर्क है कि पुलिस अधीक्षक का पत्र 12.5.1992 साक्ष्य में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है, अत: 12.5.1992 का पत्र साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता। 10.5.1992 को शंकरलाल को माल दिया गया है जो 11.5.1992 को लेकर वह रवाना हुआ और 12.5.1992 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से रवाना होकर 13.5.1992 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जमा कराया और रसीद प्रदर्श पी.15 लेकर आया है। माल बरामदगी के बाद मालखाना में जमा कराया गया था जिस सम्बन्ध में स्पष्ट साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई है और मालखाना इंचार्ज सत्यनारायण (पी.ड.6) को भी साक्ष्य में पेश किया गया है। जब तक माल उसके पास रहा सीलबन्द हालत में रहा है। इस प्रकार किसी प्रकार की कोई जिरह गवाहों से नहीं करने से अब अपील न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाने का अधिकार अपीलाण्ट को नहीं है। योग्य जन अभियोजक ने अपने तर्क समर्थन में ए आई आर 2004 सुप्रीम कोर्ट 833 (स्टेट ऑफ उडीसा बनाम कांदुरी साहू) एवं 2005 (30) ए आई सी 412 (हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट) (जौनी राम बनाम स्टेट ऑफ एच.पी.) पर आए विनिश्चय पेश किए।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। जो विनिश्चय योग्य

अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए, अव्वल में उनका अवलोकन किया गया। स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम गुरमेल सिंह (उपरोक्त) वाले प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 3 में निम्न सिद्धान्त दिया है:

> "3. ..... Apart from other reasons recorded by the High Court, we find that the link evidence adduced by the prosecution was not at all satisfactory. In the first instance, though the seized articles are said to have been kept in the malkhana on 20.5.1995, the Malkhana register was not produced to prove that it was so kept in the Malkhana till it was taken over by PW-6 on 5.6.1995. We further find that no sample of the seal was along with the sample to Excise Laboratory, Jodhpur for the purpose of comparing with the seal appearing on the sample bottles. Therefore, there is no evidence to prove satisfactorily that the seals found were in fact the same seals as were put on the sample bottles immediately after seizure of the contraband. These loopholes in the prosecution case have led the High Court to acquit the respondent."

इसी प्रकार भंवरलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (उपरोक्त) वाले प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पैरा 19 में निम्न सिद्धान्त दिया है :

> "19. ..... The position of law is almost settled on the point that in the absence of link evidence accused cannot be held guilty unless it is shown that the contraband material recovered from the possession of the accused were kept in the Malkhana in intact position and the same remained intact till it reached the destination. In the instant case, even the trial Court has not found that the prosecution has led satisfactory link evidence in this case. If that is so then to hold accused guilty for the offence under the NDPS Act, in my considered opinion, is not legally sustainable."

योग्य जन अभियोजक द्वारा जो विनिश्चय पेश किए गए उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय स्टेट ऑफ उडीसा बनाम कंदुरी

साहू (उपरोक्त) वाले प्रकरण में जो माल बरामद किया गया था, मुल्जिम के साथ न्यायालय में पेश किया गया था। एक्साईज सब-इंस्पेक्टर का यह भी स्पष्ट बयान था कि चार दिन तक माल एक्साईज के मालखाने में जमा रहा था और जहां से माल लेकर रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया। इस प्रकार चार दिन तक माल सुरक्षित स्थिति में रहा, स्पष्ट साक्ष्य दी गई थी। न्यायालय का भी स्पष्ट आदेश था कि एक्साईज के मालखाने में माल रखा जावे। मात्र इस आधार पर बरी किया जाना उचित नहीं पाया गया कि न्यायालय के आदेश से माल चार दिन तक मालखाने में पड़ा रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ए आई आर 1994 सुप्रीम कोर्ट 117 (वलसाला बनाम स्टेट ऑफ केरल) वाले प्रकरण में जो सिद्धान्त दिया गया था उसमें तथ्यों को भेद (distinguish) करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त विनिश्चय दिया है।

योग्य जन अभियोजक द्वारा प्रस्तुत दूसरा विनिश्चय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का है जो जौनीराम बनाम स्टेट ऑफ एच.पी. (उपरोक्त) में दिया गया है। उस प्रकरण में जो तथ्य थे और प्रथम बहस जो की गई थी कि तमाम सूत्र साक्ष्य पेश नहीं की गई है, उस सम्बन्ध में पैरा 25 से लगायत 27 में उच्च न्यायालय ने तथ्यों पर विवेचन किया है। मगर चूंकि उस प्रकरण में कोई भी गवाह से इस सम्बन्ध में जिरह नहीं की गई थी कि एक पैकेट में चरस को सील की गई या दो पैकेट में सील की गई, न ही सैम्पल में किसी प्रकार का कोई टेम्पर विद किया गया हो, कोई जिरह में सवाल पूछे गए। अत: उपरोक्त आधार पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

द्वारा सिद्धान्त दिया गया था कि जिरह के अभाव में इन प्रश्नों पर अब विचार नहीं किया जा सकता।

मेरे द्वारा उपरोक्त विनिश्चयों का आदर पूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में जिरह का कोई प्रश्न नहीं है। जो जुबानी साक्ष्य दी गई है और जो दस्तावेजी साक्ष्य दी गई है उसी में फर्क है और उसी के सम्बन्ध में बहस की गई है, जिसके सम्बन्ध में विचार किया जाएगा। यह सही है कि इन तारीखों के सम्बन्ध में कोई जिरह नहीं की गई है, मगर दस्तावेजात के अवलोकन से जो स्थिति बनती है उसी पर विचार करके उस पर इस प्रकरण में विचार किया जाएगा।

उपरोक्त कानूनी स्थिति देखने के साथ में माननीय उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय ए आई आर 1994 सुप्रीम कोर्ट 117 (वलसाला बनाम स्टेट ऑफ केरल), जिसका माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त विनिश्चय स्टेट ऑफ उडीसा बनाम कंदुरी साहू (उपरोक्त) में भी हवाला दिया गया है, उसके पैरा 4 में तमाम साक्ष्य का विस्तृत रूप से अवलोकन किए जाने के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 4 में माना है कि :

> "4. ..... Therefore the evidence adduced is wholly insufficient to conclude that what was seized from the appellant alone was sent to the Chemical Examiner. Though this is purely a question of fact but this is an important link. Both the courts below have not examined this aspect in

a proper perspective. No doubt the trafficking in narcotic drugs is a menace to the society but in the absence of satisfactory proof, the courts cannot convict."

उपरोक्त सिद्धान्तों के अवलोकन से यह कानून की स्थिति स्पष्ट बनती है कि कोई भी मादक पदार्थ, जो बरामद किया गया और मौके पर जिसका सैम्पल निकाला गया वह बरामदगी से लेकर रासायनिक परीक्षक तक पहुंचे तब तक सुरक्षित हालत में रहे और इसकी सील टेम्पर विद नहीं की गई, इसकी तमाम सूत्र साक्ष्य रेकर्ड पर आनी आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त विनिश्चय और इस न्यायालय के विनिश्चयों से भी यही स्थिति उभरती है।

इस प्रकरण की साक्ष्य पर अब विचार करें। पी.ड.11 धर्मपाल सिंह द्वारा इस प्रकरण में कथित बरामदगी की गई है। धर्मपाल सिंह का बयान है कि 2.750 कि.ग्रा. अफीम की बरामदगी की गई इसमें से 30-30 ग्राम के दो नमूना सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल निकाले जाकर सफेद कपडे में सीलचिट किए गए जिन्हें ए-1 व ए-2 मार्क किया गया। तमाम कागजात व माल हेड कांस्टेबल सत्यनारायण, इंचार्ज थाना, जाखम को दिए गए। यह भी उसका कथन है कि माल पर सील जाखम थाने की लगाई थी। सील के नमूने मौतबीर को नहीं दिए गए। बाद में वह सील थाने में गई होगी, उसे ध्यान नहीं। रासायनिक जांच हेतु माल का सैम्पल एस.एच.ओ., जाखम ने भेजा था। इस प्रकार धर्मपाल सिंह का मात्र यही कथन है कि माल बरामद

करके नमूने निकालकर माल जो भी था, कांस्टेबल सत्यनारायण को इंचार्ज थाना, जाखम को जमा कराने के लिए उसने दे दिए। माल आगे एस.एच.ओ., जाखम द्वारा रासायनिक परीक्षण के लिए भिजवाया गया।

इसके बाद सत्यनारायण का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे माल धर्मपाल सिंह ने दिया। पी.ड.6 सत्यनारायण का बयान है कि जो माल बरामद हुआ 2.750 कि.ग्रा. से दो सैम्पल 30-30 ग्राम निकाले। दोनों सैम्पलों को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर सील चिट किया और बकाया माल कपड़े में रखकर सील चिट किया गया, जो प्रतापगढ़ थाने की सील से सीलचिट किया गया। फिर डिप्टी साहब ने माल व कागजात उसे दिए जिसे बहैसियत इंचार्ज थाना, जाखम थाना ले गया और मुकदमा दर्ज किया। डिप्टी साहब धर्मपाल सिंह ने उसे जो माल दिया वह थाने पर लेकर गया और मुकदमा दर्ज किया और जब्तशुदा माल को मालखाना में जमा किया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.11 बनाई गई। मालखाना में जो आर्टिकल रखे उस पर जो सील लगाई, जो एस.एन.पी. की थी जो उसकी निजी सील थी। उस समय थानेदार बाहर थे। थाने की सील उपलब्ध नहीं थी इस कारण निजी सील लगाई। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.12 है जिसमें ए से बी इन्द्राज माल जमा करने का किया है। उसको शंकरलाल सिपाही नं.155 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जमा कराने के लिए माल 10.5.1992 को दिया। मालखाना में माल जमा कराया तब सीलचिट हालत में था और शंकरलाल को जांच हेतु नमूने दिए वह भी सीलचिट हालत में दिए। पुलिस अधीक्षक को विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु पत्र भेजा जिसकी प्रति प्रदर्श पी.13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। 10.5.1992 को ही यह माल भेजने के

बयान देता है और प्रदर्श पी.13 पत्र के अनुसार माल भेजना यह कहता है। इस गवाह से मालखाना में माल जमा किया और रजिस्टर प्रदर्श पी.12 के सम्बन्ध में भी विस्तृत जिरह हुई है जिसमें कांट-छांट होने के बारे में जिरह की गई है, मगर प्रदर्श पी.13 के सम्बन्ध में अवश्य विस्तृत में जिरह नहीं हुई है। प्रदर्श पी.13 पढ़े और इस गवाह का बयान पढ़ें तो स्पष्ट स्थिति आती है कि 10 मार्च, 1992 को प्रदर्श पी.13 पत्र सत्यनारायण द्वारा भेजा गया है न कि 10.5.1992 को। इस प्रकार सत्यनारायण का बयान प्रदर्श पी.13 से ही असत्य हो जाता है। यह माल अव्वल में मांगीलाल के साथ भेजा जाना लिखा गया है जिसे बाद में काटकर शंकरलाल किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराने के लिए भी 10 मार्च, 1992 को मांगीलाल ने थाने से माल प्राप्त किया है। बाद में शंकरलाल के दस्तखत किए हुए हैं। सत्यनारायण की कोई भी तारीख दस्तखतों के नीचे नहीं है। मगर मांगीलाल की स्पष्ट तारीख 10.3.92 हस्ताक्षर के नीचे लिखी हुई है। प्रदर्श पी.13 के साथ संलग्न दस्तावेज पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ का अग्रेषण पत्र है जिसमें प्रसंग में अंकित है कि एस.पी. के पत्र एफ.एस.एल./रसायन/32/2837, दिनांक 1.4.92 की पालना में। इस प्रकार 1.4.92 का पत्र एफ.एस.एल. शाखा से आया है और एस.पी. ने निदेशक को एस.पी. जयपुर ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि "आपके एतराज संख्या 18 के मुकाबले प्रदर्श पर चपडी की दो प्रकार की सीलें लगी है। इसी प्रकार नमूना सील पत्र पर भी दो प्रकार की नमूने सीले लगवाई गई। प्रदर्श पर प्रकरण, दिनांक, धारा, थाने का नाम एवं I/O के हस्ताक्षर पद की सील स्पष्ट लगवाई जाकर पालना की गई। बाद पूर्ति एतराज विशेष वाहक श्री

शंकरलाल एच सी नं.155 के साथ भेजे जा रहे हैं।" इस पत्र पर अलग से कोई भी प्रदर्श नहीं हुआ, मगर पत्र प्रदर्श पी.13 के साथ ही संलग्न है और इस पत्र को पढ़ें तो स्पष्ट हो जाता है कि माल अव्वल में 10 मार्च, 1992 को निकला मगर यह 10 मार्च, 1992 से लेकर 10.5.1992 तक किसके पास, किस स्थिति में रहा, इसकी कोई भी साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं आई। यह विधि विज्ञान प्रयोगशाला भी माल पहुंचा है जहां से 1.4.1992 को एतराज होकर प्राप्त हुआ और वहां से एतराज होकर आने के बाद एस.पी. ने माल 12.5.1992 को शंकरलाल के साथ भेजा। इस प्रकार शंकरलाल का माल लेकर जाना अवश्य पाया जाता है और रसीद प्रदर्श पी.15 शंकरलाल लेकर आया है, जो 13.5.1992 की है। इसमें भी कोई शक नहीं रहता और शंकरलाल ने भी इस सम्बन्ध में बयान दिए हैं, जिस पर भी विचार करें, जो पी.ड.8 की हैसियत से पेश हुआ है। उसका भी कथन है कि 11.5.1992 को वह थाना जाखम पर तैनात था। उस दिन नमूना सैम्पल लेकर एफ.एस.एल. जमा कराने हेतु थाने से लेकर चित्तौड़गढ़ गया था और एस.पी.ऑफिस में 12 तारीख को पहुंचा, रात चित्तौड ही रहा और सुबह लेटर बनवा कर 13 तारीख को जयपुर एफ.एस.एल. में सैम्पल जमा कराकर वहां से रसीद प्राप्त की जो प्रदर्श पी.15 है। उसके पास जब तक सैम्पल रहा सुरक्षित हालत में रहा। सैम्पल लेकर गया तब वह सीलचिट हालत में था। कार्यालय में सुबह 10 बजे ही सैम्पल जमा करा दिया था। इस प्रकार शंकरलाल के बयानो से स्पष्ट है कि 11 तारीख को थाने से यह रवाना होकर 12 तारीख को एस.पी.ऑफिस पहुंचा और एस.पी.ऑफिस में सैम्पल उसने जमा करवा दिया। मगर एस.पी.ऑफिस में 12 तारीख को दिनभर यह माल

किसके पास किस हालत में रहा इसकी कोई भी सूत्र साक्ष्य पेश नहीं हुई। इस प्रकार योग्य जन अभियोजक द्वारा जो एतराज किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में इस सम्बन्ध में कोई भी जिरह नहीं हुई और सील टेम्परविद की गई हो,इस सम्बन्ध में कोई जिरह नहीं हुई, के सम्बन्ध में मैं इतना ही लिखना चाहूंगा कि यह प्रकरण ऐसा है जिसमें न्यायालय में साक्ष्य पेश करते समय न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। प्रदर्श पी.13 पत्र 10 मार्च, 1992 का लिखा हुआ है और मांगीलाल के साथ माल भेजने का लिखा गया था जिसमें कांट छांट करने के बाद शंकरलाल का नाम अंकित किया गया। मांगीलाल 10 मार्च को माल लेकर रवाना हुआ,बाद में शंकरलाल को दिया जाना बताया गया। 10 तारीख को माल शंकरलाल को सौंपे जाने के सम्बन्ध में सत्यनारायण ने बयान दिए।

इस सम्बन्ध में असल मालखाना रजिस्टर भी इस न्यायालय द्वारा मंगवाया गया, जिसका न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया। प्रदर्श पी.12 के सी से डी इन्द्राज का अवलोकन करें। इसमें "क्रम संख्या 2 .... शंकरलाल 155 के हमरा F.S.L. जयपुर दि. 10.5.92 को भेजा।" अंकित किया गया है। प्रदर्श पी.12 में अव्वल में माल का डिस्पोजल 25.5.92 का बताया गया जो ई से एफ पर है। इसके बाद इसका डिस्पोजल 28.7.92 का बताया गया है और इस सम्बन्ध में गवाह से जिरह भी की गई है, जिसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि यह काट छांट क्यों की गई। 24.2.1992 को यह सैम्पल जमा हुआ। प्रदर्श पी.13 के 10 मार्च, 1992 को यह सैम्पल एस.पी. कार्यालय में भेजा जाना पाया जाता है, मगर प्रदर्श पी.12 रजिस्टर में 10 मार्च को यह माल निकला हो और मागीलाल के साथ भेजागया हो, इसका

कोई भी हवाला नहीं दिया गया है। शंकरलाल एफ.सी. के साथ 10 मार्च, 1992 को ही माल भेजा, उसके नीचे कोई हस्ताक्षर मालखाना इंचार्ज के भी नहीं है। 10 मार्च, 1992 को मालखाना से माल निकला और एस.पी. कार्यालय में गया और एफ.एस.एल. पहुंचा और एफ.एस.एल. से क्या एतराज होकर आए जो 1.4.1992 का पत्र एफ.एस.एल. से जो एतराज होकर आए वह भी एतराज रेकर्ड पर पेश नहीं हुआ है। यह माल एफ.एस.एल. से 1.4.1992 के पत्र से वापस लौटा तब से लगायत 10.5.1992 तक किसके कब्जे में रहा इसकी कोई भी सूत्र साक्ष्य रेकर्ड पर पेश नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होताहै कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्तर पर भी उपरोक्त कमी को न तो देखने का प्रयास किया है और न ही इस सम्बन्ध में अपने निर्णय में इस बारे में विवेचन किया। 24.2.1992 को जब्तशुदा माल एफ.एस.एल. में 13.5.1992 को पहुंचे यह बहुत ही खेद का विषय है और इस सम्बन्ध में एफ.एस.एल. में पूर्व में कभी माल पहुंचा इसका कोई हवाला तक नहीं दिया गया है। एफ.एस.एल. द्वारा इसका परीक्षण करके 28.1.1994 को प्रदर्श पी.9 रिपोर्ट प्रेषित की है जिसे भी करीब दो साल से कुछ माह ही कम समय लगा।

उपरोक्त तमाम विवेचन से प्रथम दृष्टया ही इस प्रकरण में सत्यनारायण का बयान ही रेकर्ड पर गुमराह करने वाला दिया गया है कि उसने शंकरलाल सिपाही को एफ.एस.एल. जांच हेतु माल 10.5.1992 को दिया, जबकि पत्र प्रदर्श पी.13 भी भेजना उसने स्वीकार किया है और 10 मार्च, 1992 को यह माल एस.पी. कार्यालय पहुंचा भी है। मांगीलाल के मार्फत पहुंचना प्रदर्श पी.13 से पाया जाता है और एस.पी. कार्यालय से एफ.एस.एल.

माल भेजा गया जहां से वापस 1.4.1992 को लौटकर आया है जो प्रदर्श पी13 के साथ संलग्न एस.पी. कार्यालय के पत्र से ही स्पष्ट होता है और उसके बाद पुन: जो एतराजात किए गए उनकी दुरूस्ती कराने के बाद 12.5.1992 को शंकरलाल के साथ माल भेजा गया है। उपरोक्त तमाम विवेचन से जो इस प्रकरण में सूत्र साक्ष्य में मूल रूप से कमियां पाई गई है, स्पष्ट है कि यह माल 24.2.1992 को जब्त किया गया जो धर्मपाल सिंह, डिप्टी एस.पी. ने किया है और सतयनारायण को माल सौंपा। पी.ड.6 सत्यनारायण ने यह माल प्रदर्श पी.12 मालखाना रजिस्टर में जमा किया और उसके बाद 10.5.1992 को ही माल शंकरलाल के साथ भेजना बयान दिया जो प्रदर्श पी.13 पत्र के जरिए भेजा है। मगर इसका यह बयान रेकर्ड से ही विपरीत हो जाता है क्योंकि 10 मार्च, 1992 को माल एस.पी.कार्यालय में भिजवाया गया और मांगीलाल के साथ भिजवाया गया और एस.पी. कार्यालय से यह माल एफ.एस.एल. तक गया है जहां से 1.4.1992 को एतराज होकर आया और 1.4.1992 को एतराज होकर आने के बाद यह माल पुन: 12.5.1992 को एस.पी. कार्यालय से सीलों में एतराजों को दुरूस्त करने के बाद व अन्य एतराज दुरूस्त करने के बाद शंकरलाल के साथ भेजा गया है। एस.पी. कार्यालय में शंकरलाल ने माल लाकर जमा कराया। एस.पी. कार्यालय में यह माल किसके पास किस हालत में रहा, कोई गवाह पेश नहीं किया गया। एस.पी. कार्यालय का अव्वल में क्या अग्रेषण पत्र जारी किया गया और एफ.एस.एल. से सीलों के सम्बन्ध में क्या एतराज होकर आए, के सम्बन्ध में भी रेकर्ड पर पेश नहीं किया गया। प्रदर्श पी.13 के साथ एस.पी. कार्यालय का पत्र अवश्य लगा हुआ है जिस पर कोई प्रदर्श लगा हुआ नहीं

है। इस प्रकार यदि योग्य जन अभियोजक के इस तर्क को भी माने तो एस.पी. का अग्रेषण पत्र पेश करके प्रमाणित करने का प्रयास नहीं किया। 10.5.1992 को शंकरलाल के साथ माल भेजने का कथन सत्यनारायण का रहा है जिसकी ताईद स्वयं शंकरलाल नहीं करता और उसने 11 तारीख को माल प्राप्त होना और 12 तारीख को एस.पी. कार्यालय जाना और एस.पी. कार्यालय में माल जमा कराना बताया है। इस प्रकार 10 तारीख से 11 तारीख के बीच माल किसके पास रहा यह भी रेकर्ड पर नहीं आया है और इस सम्बन्ध में शंकरलाल व सत्यनारायण के बयानो में भारी विरोधाभास हैं। एस.पी. कार्यालय में माल 10 मार्च को जब पहुंच गया, पुन: थाने में क्यों नहीं पहुंचा और यह माल किसके कब्जे में किस स्थिति में रहा, इसकी कोई सूत्र साक्ष्य पेश नहीं हुई। इस प्रकार 10 मार्च, 1992 से लगायत 11.5.1992 के मध्य यह माल किसके कब्जे में रहा और किस हालत में रहा, इसकी कोई भी सूत्र साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इसी प्रकार 12 तारीख को एस.पी. कार्यालय में माल किसके पास किस हालत में रहा, इसकी भी कोई सूत्र साक्ष्य पेश नहीं की गई। इस प्रकार मैं योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट के प्रथम तर्को से सहमति रखता हूं और जो विनिश्चय माननीय उच्चतम न्यायालय के योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें आए सिद्धान्तों को देखते हुए और माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय ए आई आर 1994 सुप्रीम कोर्ट 117 (सलसाला बनाम स्टेट ऑफ केरल) में दिए सिद्धान्त को देखते हुए अभियोजन पक्ष पर यह भारी भार जाता है कि बरामदशुदा माल के सैम्पल बरामदगी से लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक जांच के लिए पहुंचे तब तक सही सीलबन्द हालत में और सही

अभिरक्षा में रहे,यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर रहता है और अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में कासिर रहता है कि बरामदगी से लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक पहुंचे तब तक यह माल सुरक्षित हालत में और सही अभिरक्षा में सीलबन्द हालत में रहा हो, प्रमाणित नहीं किया जा सके तो एफ.एस.एल. रिपोर्ट अभियुक्त के विरूद्ध नहीं पढ़ी जा सकती।

इस प्रकरण में जिस प्रकार की सूत्र साक्ष्य पेश की गई है, न्यायालय को दु:ख होता है कि इस प्रकरण में कई महत्वपूर्ण कड़ियों को छिपाने का प्रयास किया गया है और 10 मार्च, 1992 को माल निकला वह न तो मालखाना रजिस्टर में दर्शाया गया है और न ही इस सम्बन्ध में मांगीलाल को पेश किया गया न एस.पी. कार्यालय का कोई व्यक्ति पेश हुआ। इसी प्रकार एफ.एस.एल. से क्या एतराज 1.4.1992 को होकर आया वह पेश नहीं हुआ कि क्या स्थिति थी जो दुरूस्त की गई अथवा नहीं न एतराजों को पेश किया गया और कमी पूर्ति किस प्रकार की सील के सम्बन्ध में की गई, इसकी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

उपरोक्त सूत्र साक्ष्य के अलावा योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का इस प्रकरण में यह तर्क रहा कि धर्मपाल सिंह, उप अधीक्षक पुलिस ने मौके पर थाना प्रतापगढ़ की सील से माल सीलबन्द करना कहा है, मगर नमूना सील मौके पर नहीं बनी व सील कहां रही के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट बयान नहीं किये। उनका यह भी तर्क है कि मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.12 में सफेद प्लास्टिक की थैली में नाजायज अफीम 2.750 कि.ग्रा. मार्क ए थैली में जब्तशुदा पेश हुई है और सैम्पल नमूना ए-1 व ए-2 पेश हुए हैं जिसमें भी कोई भी उनका भार अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि प्रदर्श पी.12 में

सैम्पल नमूना मार्क ए 1 व ए 2 पेश हुए हैं, यदि सैम्पल मौके पर 30-30 ग्राम के निकाल लिए जाते तो 2 किलो 690 ग्राम ही माल मालखाना में जमा हो सकता था, इसका भी कोई स्पष्टीकरण सत्यनारायण द्वारा नहीं दिया गया है। एस.एच.ओ. की सील से माल सील नहीं किया गया बल्कि एस.एन.पी. की सील प्रयोग में ली गई व धारा 55 अधिनियम की पालना नहीं की गई है। नमूना सील मौके पर तैयार की गई हो, इसकी भी कोई साक्ष्य नहीं दी गई। इस प्रकार नमूना सील साथ भेजी गई हो, यह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। यदि सत्यनारायण की सील से ही माल सीलबन्द किया गया है तो यह सत्यनारायण के पास ही माल रहा है और कभी भी इसमें हेरा फेरी हो सकती है, इससे नहीं नकारा जा सकता। नमूना सील मौके पर नहीं बनाई है न रेकर्ड पर पेश की गई है।

योग्य जन अभियोजक का तर्क है कि माल धर्मपाल सिंह द्वारा जब्त किया गया है और थाना प्रतापगढ़ की सील से सीलबन्द किया गया था, उसके बाद मालखाना में माल रखा गया तब धारा 55 अधिनियम की फर्द बनाई जाकर एस.एन.पी. सील से सीलबन्द किया गया और इसे मालखाना में रखा गया। धारा 55 अधिनियम की पालना की गई है और नमूना सील भी साथ भेजी गई है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भी जो नमूना पहुंचा जिसे सीलबन्द किया गया था पहुंचा और जिस सील से मिलान किया वह एक ही तरह की पाई गई। इस प्रकार किसी प्रकार सील में कोई हेरा फेरी होना नहीं माना जा सकता।

सील के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया

गया और साक्ष्य का अवलोकन किया। प्रदर्श पी.1 फर्द बरामदगी का अवलोकन करें, जो धर्मपाल सिंह उप अधीक्षक के द्वारा बस आर जे एच 4791 को रूकवा कर तलाशी ली तो दाहिनी तरफ सीट पर विष्णु नायक नामक व्यक्ति बैठा था और उसने एक सफेद थैली बांई तरफ छिपा रखी थी। उस थैली की तलाशी लेने पर उसमें 2 किलो 750 ग्राम अफीम होना पाई गई। हालांकि फर्द में एक्स स्थान पर नाप के बारे में फर्क होना पाया जाता है, मगर 2 किलो 750 ग्राम अफीम बरामद होने की साक्ष्य अभियोजन पक्ष लेकर आया है जिसमें से 30-30 ग्राम के नमूने निकाले गए। इस पर सील पी.एस. प्रतापगढ़, डी.चित्तौड़गढ़ एवं बीच में राजस्थान लिखा हुआ अंकित की गई है। नमूना सील फर्द पर ही अंकित की गई है, अलग से कोई भी नमूना सील बनाना रेकर्ड पर नहीं पाया जाता न रेकर्ड पर पेश ही हुई है। धर्मपाल सिंह द्वारा यह बयान किया गया कि यह माल सत्यनारायण के साथ थाने में भेजा। सत्यनारायण द्वारा प्रदर्श पी.12 रजिस्टर में माल जमा कराने की साक्ष्य अवश्य दी है और धारा 55 की फर्द प्रदर्श पी.11 बनाने की साक्ष्य भी दी है जिस पर अपनी व्यक्तिगत सील एस.एन.पी. लगाई। मगर जैसाकि ऊपर देखा जा चुका है, प्रतापगढ़ थाने की सील का नमूना साथ भेजा गया हो, यह प्रदर्श पी.13 से नहीं पाया जाता। स्पेसीमेन सील व हस्ताक्षर भेजना अवश्य बताया गया है। इस प्रकार उप अधीक्षक पुलिस ने जिस सील से माल सील किया हो उसका नमूना भी एफ.एस.एल. में भिजवाया गया हो, इसकी कोई साक्ष्य नहीं है न ही अलग से वह नमूना सील बनाने की साक्ष्य आई है। जब एस.एन.पी. सील से जो नमूने सीलबन्द किए गए वह स्पेसीमेन साथ भेजा गया या थाना प्रतापगढ़

वाली सील का नमूना साथ भेजा गया हो, इसकी भी कोई विशिष्ठ साक्ष्य नहीं आई न ही इस सम्बन्ध में किसी गवाह ने कोई बयान उसे दिया है।

पी.ड.8 शंकरलाल का स्पष्ट कथन है कि उसने सीले पढ़ी नहीं और आज उसे याद भी नहीं है कि माल पर कैसी सील लगी हुई थी। सैम्पल पर क्या लिखा हुआ था उसे पता नहीं है। सील के सम्बन्ध में पी.ड.6 सत्यनारायण का बयान, जैसाकि ऊपर देखा जा चुका है, इसने प्रदर्श पी.11 जो फर्द धारा 55 की बनाई उस पर एस.एन.पी. सील निजी इस्तेमाल की क्योंकि एस.एच.ओ. की सील मौजूद नहीं थी। सत्यनारायण के पास ही माल रहा है और एस.एन.पी. सील से उसने सीलबन्द किया। अत: कभी भी इसका दुरूपयोग किया जा सकता है इससे नहीं नकारा जा सकता। उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जिस सील से माल को सीलबन्द किया वह सील का नमूना एफ.एस.एल. साथ भेजा हो इसकी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं आई। इस प्रकार एफ.एस.एल. में अलग से नमूना सील भेजी गई इसकी कोई भी स्पष्ट साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड पर नहीं है और जैसी साक्ष्य देखी गई है, नमूना सील अलग से बनाया जाना नहीं पाया जाता। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से सील के सम्बन्ध में एतराज होकर भी माल प्राप्त हुआ, मगर वो क्या एतराजात थे और उन्हें किस प्रकार से दूर किया गया, इसके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सील जिससे माल सीलबन्द किया गया उसकी नमूना सील एफ.एस.एल. तक यदि नहीं पहुंचाई जाती तो किस सील से नमूने का मिलान किया, यह स्पष्ट नहीं हो पाता। इस प्रकरण में दो प्रकार की सील लगाने की साक्ष्य दी गई, मगर कौनसी सील का नमूना भेजा गया या दोनों सीलों के नमूने भेजे गए, किसी प्रकार की कोई साक्ष्य

अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं दी गई। यह भी महत्वपूर्ण कमी है जो इस प्रकरण में रही है, जो अभियोजन पक्ष के विरूद्ध जाती है।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट की अन्त में यह भी बहस रही कि इस प्रकरण में बस की सूचना पर चेकिंग की गई है, कोई भी स्वतंत्र गवाह अभियोजन पक्ष की ताईद नहीं करता और वे पक्षद्रोही हुए हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने पी.ड.1 जगदीश सिंह, पी.ड.2 प्रकाश चन्द, पी.ड.3 कालिया, पी.ड.7 लक्ष्मणलाल पी.ड.9 भंवरलाल व पी.ड.10 महेन्द्र कुमार के बयानो की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया, जो स्वतंत्र गवाह के रूप में पेश हुए हैं मगर अभियोजन पक्ष की ताईद नहीं करते। उनका यह भी तर्क है कि मात्र विभागीय कर्मचारी/अधिकारी जिसमें पी.ड.4 रायसिंह, पी.ड.5 महेन्द्रसिंह भाटी, पी.ड.6 सत्यनारायण, पी.ड.11 धर्मपाल सिंह और पी.ड.12 महावीर सिंह के बयान हुए हैं जो सभी पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी हैं और बरामदगी को प्रमाणित करने की साक्ष्य देते हैं। स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में मात्र उनके बयानो के आधार पर अभियुक्त के मात्र चैतन्य कब्जे से अफीम की बरामदगी हुई है, प्रमाणित नहीं होती। माल बस में कहां पड़ा था, इस सम्बन्ध में विरोधाभासी बयान आए हैं। इसके विपरीत योग्य जन अभियोजक ने तर्क किये कि मात्र पुलिस अधिकारी/कर्मचारी होने के आधार पर इनके बयान अविश्वसनीय नहीं माने जा सकते। अभियुक्त के कब्जे में ही माल मिला है।

इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा साक्ष्य का अवलोकन किया गया। यह सही है कि इस प्रकरण में पी.ड.1 जगदीश सिंह, जो बस का ड्राईवर था,

उसका कथन है कि पुलिस ने बस रोकी और बस में घुसे। बस में एक पेसेंजर को नीचे उतारा और उसकी पिटाई की। बस को चेक किया। प्रदर्श पी.2 व प्रदर्श पी.3 फर्दो पर उसके हस्ताक्षर अवश्य करवाए थे। इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस गवाह का यह भी कथन है कि मुल्जिम जहां बैठा था उसके पीछे वाली सीट पर माल मिला था। प्रदर्श पी.2 से लगायत प्रदर्श पी.5 पर अपने हस्ताक्षर होना अवश्य स्वीकार करता है। पी.ड.2 प्रकाश चन्द बस का कंडक्टर है। उसका भी कथन है कि पुलिस वालों ने बस की तलाशी ली थी। मुल्जिम से सामान का पूछा तो उसने मना कर दिया, फिर सबको नीचे उतारा। पुलिस वाले एक थैली लेकर नीचे उतरे थे। जहां मुल्जिम बैठा था उसकी पिछली सीट पर थैली मिली थी। थैली खोलकर देखी तो उसमें काला पदार्थ निकला। प्रदर्श पी.१ से 5 पर अपने हस्ताक्षर होना अवश्य स्वीकार करता है। मगर इसको पक्षद्रोही घोषित किया गया और अभियोजन पक्ष ने इससे जिरह की। इस प्रकार दोनों ही स्वतंत्र गवाह, जो बस के ड्राईवर व कंडक्टर हैं, अभियोजन पक्ष की मदद नहीं करते।

पी.ड.3 कालिया, जो बस में पैसेंजर था, उसने भी बस की चैकिंग के बारे में साक्ष्य दी और सभी यात्रियों को नीचे उतारा। किसी के पास कुछ मिला हो तो उसे पता नहीं होना कहा। एक आदमी पीछे बैठा था उसको पुलिस वाले लाए थे जिसके पास थैला था। मगर उसमें क्या था उसे नहीं पता न ही उसने उसका नाम पूछा। इस गवाह को भी पक्षद्रोही किया गया है। पुलिस बयानो से इसका सामना कराया गया जो देने से इनकार करता है।

अन्य गवाह पी.ड.7 लक्ष्मणलाल है, जो भी यात्री है। उसका भी कथन है कि पुलिस एक पैसेन्जर को उतारकर ले गई। उसने और कुछ नहीं देखा। जिस व्यक्ति को उतार कर ले गई वह उसे नहीं जानता। इस गवाह को भी अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित किया है। पी.ड.9 भंवरलाल भी पक्षद्रोही हुआ है और अभियोजन पक्ष की मदद नहीं करता। पी.ड.10 महेन्द्र कुमार भी बस का पैसेंजर है। उसका भी कथन है कि विष्णु नाम के किसी व्यक्ति को बस से पुलिस ने उतारा और पुलिस वाले बस के अन्दर गए और एक थैली लेकर आए थे। इस गवाह को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

इस प्रकार इस प्रकरण में बस के तमाम पैसेन्जर, ड्राईवर व कंडक्टर अभियोजन पक्ष की मदद नहीं करते।

पुलिस पार्टी जो साथ थी उसकी साक्ष्य पर अब विचार करें और फर्द बरामदगी प्रदर्श पी.1 का अवलोकन करें। प्रदर्श पी.1 में यह लिखा है कि बस की तलाशी ली गई। बस में आगे वाले दरवाजे से पहली दाहिनी तरफ सीट पर विष्णु नायक खिडकी की तरफ बैठा हुआ मिला जो पुलिस को देखकर हडबडाया। उसको देखा तो उसके बाई तरफ एक सफेद थैली छिपा कर रखी हुई नजर आई जिसको मौतबीर जगदीश व प्रकाश के सामने खोलकर देखी जिसमें अफीम पाई गई। जगदीश सिंह पी.ड.1 व प्रकाश चन्द्र पी.ड.2 के बयान, जो बस के ड्राईवर व कंडक्टर हैं और अभियोजन पक्ष की मदद नहीं करते और न ही स्वतंत्र साक्ष्य पैसेंजर ही मदद करते हैं।

इसके अलावा अन्य साक्ष्य का अवलोकन करें। पी.ड.11 धर्मपाल सिंह, जिसके द्वारा यह चेकिंग की गई, उसका कथन है कि 10.15 बजे उसे मुखबीर से सूचना मिली थी कि विष्णु अफीम लेकर रोडवेज की बस से

जाएगा। इस पर वह अन्य जाब्ता के मौके पर पहुंचा और बस का पीछा करके बस को रूकवाई। बस में प्रवेश हुए और विष्णु को ढूंढने का प्रयास किया। पुलिस जाब्ते को देखकर विष्णु घबराया। उसको पकड़ा, फिर बस को चैक किया व विष्णु सीट पर खडा हुआ तो उसके बांयी तरफ एक सफेद थैली बांये हाथ की तरफ छिपा रखी थी, बयान दिया। जिरह में इसका कथन है कि सबसे पहले वह स्वयं बस में चढ़ा और उसके साथ महेन्द्र सिंह, सत्यनारायण, हरिसिंह, रायसिंह व चन्दरमल चढ़े। करीब 30 पैसेंजर थे। पूरी बस को चेक किया था। विष्णु को पहले से नहीं जानता था। बस में चढ़ते ही दाये मुडते ही दाहिनी तरफ पहली सीट पर बैठा हुआ था। उस सीट पर अन्य कोई व्यक्ति वहां बैठा था अथवा नहीं, उसे पता नहीं। कितने लोगों के बैठने की सीट थी, उसे ध्यान नहीं है। विष्णु जहां बैठा था, बांए तरफ एक कोने में थैली छिपा रखी थी। बस को करीब पौन घण्टे रोकी थी, फिर बस चली गई। इस प्रकार मुख्य बयानो में इस गवाह का कथन है कि अभियुक्त ने हाथ में थैली छिपा रखी थी, जबकि जिरह में इसका स्पष्ट कथन है कि अभियुक्त द्वारा बस के एक कोने में जहां बैठा था उसके बांई तरफ वाले कोने में थैली छिपा रखी थी। इसका कोई भी स्पष्टीकरण यह गवाह नहीं दे पाया है कि उसके फर्द में लिखे तथ्यों और उसके बयानो में फर्क क्यों आया। अभियुक्त की तलाशी ली तब उसके हाथ में थैली थी या उसने बांई तरफ कोने में छिपा रखी थी इसकी स्पष्ट साक्ष्य नहीं दी गई है।

पी.ड.12 महावीर सिंह का बयान इस सम्बन्ध में देखें। महावीर सिंह का कथन है कि बस में चढ़े और विष्णु की तलाश की, जिस पर अगली

फाटक की दाहिनी सीट पर पहली सीट पर एक आदमी घबराया हुआ खड़ा हुआ। पूछने पर उसने अपना नाम विष्णु बताया। उसके पास ही सीट पर एक थैली पड़ी हुई थी। उसके हाथ में थैली हो, महावीर सिंह का कथन नहीं है। जिरह में इसका कथन है कि जाते ही विष्णु घबरा कर खड़ा हो गया और उसे पकड़ लिया। दो सीट वाली सीट पर विष्णु बैठा था और पास में थैली पड़ी हुई थी। मौतबीर के सामने थैली बरामद कर ली थी। इस प्रकार इस गवाह का यह कथन रहा कि बस में ये चढ़े और जाते ही अभियुक्त की तलाशी ले ली गई और सीट पर पास में थैली पड़ी होना बयान करता है। अभियुक्त के हाथ में थैली हो या बांई ओर छिपा रखी हो, इसका कथन नहीं है।

पी.ड.6 सत्यनारायण के कथन का इस सम्बन्ध में अवलोकन करें। उसका कथन है कि बस को रूकवाई और उसमें बैठे यात्रियों को डिप्टी साहब ने चेक किया। अगली फाटक के पास वाली दाहिनी सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसके बगल में एक सफेद थैली दबाए हुए था जो पुलिस को देखकर घबरा गया। डिप्टी साहब ने उसे पूछा कि तेरे पास अफीम होने की शंका है। फिर डिप्टी साहब से ही तलाशी की सहमति दी। उसके पास जो थैली थी उसे खोलकर देखी तो अफीम बरामद हुई, बयान दिया है। जिरह में भी इसका कथन है कि उस सीट पर कितने पैसेंजर बैठे थे उसे ध्यान नहीं, मगर विष्णु ने बैठे हुए थैली अपने हाथ में पास दबा रखी थी जो फाटक की तरफ साईड में दबा रखी थी। मुल्जिम स्वयं सामान की पोटली लेकर बस से नीचे उतरा था। जिरह में इसने आगे यह भी बयान दिया कि जो थैली थी वह सीट के नीचे नहीं पड़ी थी। इस तथ्य

से इनकार करता है कि यह बस में लावारिश हालत में सीट के नीचे पड़ी हो और अभियुक्त को बाद में शंका के आधार पर झूंठा फंसाया हो। इस प्रकार इस गवाह ने हाथ में थैली दबाए रखने के सम्बन्ध में साक्ष्य दी है।

पी.ड.4 रायसिंह का इस सम्बन्ध में बयान देखें। उसका कथन है कि बस को रोकी और बस की तलाशी ली गई। डिप्टी साहब व थानेदार ने तलाशी ली। बहस की पहली सीट पर दाहिनी तरफ एक व्यक्ति बैठा मिला। थानेदार ने उसकी तलाशी ली। फिर बताया कि डिप्टी साहब ने पूछा कि क्या नाम है तो उसने अपना नाम विष्णु बताया। उसके पास दाहिनी तरफ सफेद थैली उसके पास नजर आई तो थैली की तलाशी ली तो अफीम पाई गई। बस में सबसे पहले थानेदार चढ़े उसके बाद पूरा जाब्ता चढ़ा। जबकि डिप्टी एस.पी का कथन है कि सबसे पहले वह चढ़ा था। विष्णु को वह पहले से नहीं जानता था। विष्णु की तलाशी बस में ही ले ली थी। दूसरे पैसेंजर को चेक नहीं किया। उसी से तलाशी शुरू की थी। थैली खिड़की की तरफ दाहिनी साईड में पड़ी थी। मगर डिप्टी एस.पी. के बयान, जैसे कि ऊपर देखे गए हैं, उसका स्पष्ट कथन है कि वह स्वयं ही सबसे पहले चढ़ा था और यह थैली सीट के बांए कोने में छिपा रखी थी। जबकि यह गवाह दाहिनी तरफ थैली होने की बात कहता है।

पी.ड.5 महेन्द्र सिंह भाटी का कथन है कि बस को रोकने के बाद डिप्टी एस.पी व जाब्ते ने बस में प्रवेश किया। बस में घुसते ही दाहिनी सीट की तरफ खिडकी के पास एक व्यक्ति बैठा नजर आया जो हडबडाने लगा। डिप्टी साहब ने मौतबीरों के सामने यह बताया कि राजपत्रित अधिकारी से तलाशी चाहते हो या उनसे स्वयं से लिवाना चाहते हो तो

उन्हीं से तलाशी लेने की सहमति दी। विष्णु जहां बैठा था, बांयी बाजू की तरफ छिपाई हुई एक प्लास्टिक की थैली नजर आई। इसे चेक किया तो अफीम होना पाया। सबसे पहले बस में डिप्टी एस.पी. चढ़े फिर वह चढ़ा। सभी पैसेंजर को चेक नहीं किया। जबकि अन्य सभी गवाह बस को एवं पैसेंजर्स को चेक करने की बात भी कहते हैं। इस सीट पर विष्णु अकेला था। सीट नम्बर उसे पता नहीं। विष्णु की तलाशी बस के अन्दर ही ले ली गई थी। इस बात से इनकार करता है कि विष्णु की आंखों के पट्टी बांधकर बस से उतारा हो और उसके साथ मारपीट की हो।

उपरोक्त विवेचन से जो भी पुलिस कर्मचारी/अधिकारी पेश हुए हैं, कोई अभियुक्त के हाथ में थैली होने की बात फर्द में कहते हैं कोई अभियुक्त के हाथ में थैली लेकर खड़े होने की बात कहते हैं, कोई अभियुक्त के बांई तरफ थैली होने की बात कहते हैं तो कोई दांई तरफ थैली होने की बात कहते हैं एवं कोई अभियुक्त ने थैली छिपा रखी थी, बयान करता है। इस प्रकार स्वतंत्र गवाह के द्वारा कोई भी ताईद नहीं करने से मात्र पुलिस कर्मचारियों के बयान पर जिस प्रकार कि अफीम जिस थैली में मिली, चेकिंग के समय कहां पड़ी थी और अभियुक्त के हाथ में भी थी अथवा नहीं या सीट पर ऐसे ही लावारिश पड़ी थी, इसकी कोई भी मुकम्मिल साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं पाई जाती, जो विश्वसनीय मानी जा सके। बस के पैसेंजर, ड्राईवर व कंडक्टर कोई भी स्वतंत्र गवाह अभियोजन पक्ष की ताईद नहीं करते। इन परिस्थितियों के आधार पर अन्य परिस्थितियों पर विचार करें, जैसाकि ऊपर विचार किया गया है, माल बरामदगी से लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक पहुंचा तब तक सीलबन्द हालत में रहा हो, इसकी भी पूर्ण विश्वसनीय साक्ष्य

अभियोजन पक्ष नहीं दे पाया है। नमूना सील मौके पर बनाई गई हो इसकी भी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं आई और कौनसी नमूना सील एफ.एस.एल. भेजी गई, इसकी भी कोई साक्ष्य नहीं आई और अभियोजन पक्ष ने जो साक्ष्य पेश की, न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया और 10 मार्च, 1992 को भेजे गए सैम्पल को 10.5.1992 को भेजे जाने की साक्ष्य देने का प्रयास किया गया है।

उपरोक्त सभी विवेचन से मैं योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट के तर्को से सहमति रखता हूं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट विष्णु के विरूद्ध अपराध धारा 8/18 स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम में जो दोषसिद्धि व दण्डादेश पारित किया है वह तमाम काबिल अपास्त है, जो अपास्त किए जाते हैं।

फलस्वरूप, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। योग्य सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 7.9.2000 अपास्त किया जाता है और अपीलाण्ट विष्णु को उसके विरूद्ध लगाए धारा 8 सपठित 18 स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में बरी किया जाता है। यदि अपीलाण्ट की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो उसे तुरन्त रिहा कर दिया जावे।

(न् यायाधिपति कृष् णकुमार आचार्य)

जी.एन.शर्मा]